न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूं (जयपुर)

मु.न. 03/2013

उनवान

1. गोविन्दराम पुत्र स्व0 नन्दा
2. सीताराम पुत्र स्व0 नन्दा
3. हनुमान पुत्र स्व0 नन्दा

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आडागेला, तन टांकरडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र स्व0 गणेश
2. रामनिवास पुत्र स्व0 गणेश

समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम आडागेला, तन टांकरडा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

3. रामप्रताप पुत्र स्व0 गणेश (मृतक दौराने दावा)

3/1 सीताराम पुत्र स्व0 रामप्रताप
3/2 मक्खन लाल पुत्र स्व0 रामप्रताप
3/3 मिन्टू पुत्र स्व0 रामप्रताप
3/4 दुर्गा लाल पुत्र स्व0 रामप्रताप
3/5 बनवारी लाल पुत्र स्व0 रामप्रताप
3/6 पप्पू पुत्र स्व0 रामप्रताप
3/7 नानूराम

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम आडागेला, तन टांकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

3/8 शान्ति देवी पुत्री स्व0 रामप्रताप, पत्नी चौथमल, जाति कुमावत, निवासी कुमावतों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

3/9 कमला देवी पुत्री स्व0 रामप्रताप, पत्नी हरिश, जाति कुमावत, निवासी कुमावतों की ढाणी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर

निर्णय दिनांक 04.12.2019

प्रार्थी ने प्रा0पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्राथीगण वाके ग्राम आडागेला तन टांकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के पुश्तैनी रूप से रहने वाले हैं तथा प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 9 के जिसके आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 696 आबादी रकबा 0.06 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 703 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 704 रकबा 1.31 है0, ख0नं0 705 रकबा 0.04 है0,

Scanned by CamScanner

ख0नं0 715/867 रकबा 0.15 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 1.67 हैक्ट0 भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण व अन्य खातेदार की शामलाती भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 2/3 भाग हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में बतौर मालिक व स्वामी अर्से दरजा से काबिज होकर हर प्रकर से उपयोग उपभोग करते अचले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने पुख्ता मकानात, पशु बाडे, बोरिंग, चाह आदि बना रखे हैं, जिनमें प्रार्थीण अपने परिवार सहित निवास करते चली आ रहे है तथा उक्त खातेदारी भूमि को उपजाऊ बनाकर इस पर साल दर साल फसल कर उपयोग उपभोग हर प्रकार से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने के लिये रास्ता स्थित नहीं होने के कारण अर्से दराज से प्रार्थीगण व उसके परिवार को आने–जाने व कृषि यंत्र लढ्ढे, मवेशी, ट्रेक्टर आदि के आने–जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते से लगता हुआ उत्तरी पश्चिम ओर से पूर्वी ओर उत्तरी कोने के सहारे सहारे एक रास्ता स्थित है जिसमें से होकर प्रार्थी अपने आने–जाने के लिये उपयोग उपभोग रकते चले आ रहे है। जो प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के ख0नं0 691 से होते हुआ प्रार्थीगण के ख0नं0 690 कर सींव तक जाता है जिसकी लम्बाई 10 मीटर एवं चौडाई 5 मीटर है जो रास्ता अर्सेदराज से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि में से निकला हुआ है, जिसकी प्रार्थीगण अर्सेदराज से उपयोग उपभोग करते चलअ आ रहे हैं उक्त रास्ते में से ही प्रार्थीगण अपने कृषि यंत्र, मवेशी, लड्डे ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के काम में लेते आ रहे है तथा प्रार्थीगण का अपनी भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से मार्क ए बी से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा आये दिन प्राथीग्ण व उसके परिवार को हैरान व परेशान करने की गरज से आनो जाने व कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने में बाधा कारित करने की गरज से छडिया पत्थर आदि डालकर उक्त रास्ता बन्द कर दिया है। प्राथीगण द्वार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 से उनकी उक्त भूमि खसरा नम्बर 691 की उत्तरी पश्चिमी कोने से सींव के सहारे सहारे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 690 तक जाने का करीब 5 मीटर चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने हेतु उचित क्षतिपूर्ती प्राप्त करने बाबत प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग उपभाग में आ रही भूमि की क्षतिपूर्ती राशि डी.एल.सी. के अनुसार अदा करने के लिये निवेदन किया, परन्तु अप्रार्थीगण को हेरान व परेशान करने की गरज से जबरन छडीया व पत्थर आदि डालकर उक्त रास्ते को आये दिन बन्द करने की कार्यवाही बार–बार की जाती रही है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ती राशि अदा करने हेतु तत्पर रहने के बावजूद अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अर्से पूर्व के रास्ते को अमल दरामद करवाने से इन्कार कर रहे हैं। प्रार्थीगण का रास्ता बन्द होने से प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने कृषि यंत्र ट्रेक्टर लढ्ढे मवेशी आदि लाने ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

प्राथीगण अपने प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाके ग्राम चौमू, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 690 के पश्चिमी तरफ स्थित अप्राथीग्ण संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 691 की उत्तरी पश्मिी ओर से पूर्वी ओर उत्तरी कोने के सहारे सहारे करीब 10 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर उक्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उचित

Scanned by CamScanner

कारी दर अनुसार राशि जमा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में कायम किय जाने के देश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी खाता संख्या 9 के जिसके आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 696 आबादी रकबा 0.06 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 703 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 704 रकबा 1.31 है0, ख0नं0 705 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 715/867 रकबा 0.15 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 1.67 हैक्ट0 शामलाती खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 2/3 है। प्रार्थी का उपरोक्त खसरा नम्बर में भी हिस्सा 2/3 है। प्रार्थी जहां अपना खेत बताता है वह शामलाती खातेदारी की भूमि है। सभी खातेदारों द्वारा रास्ता चाहने पर ही 251(A) में रास्ता प्रतिवादी से वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर दिया जा सकता है। शामलाती खातेदारी में हिस्सा 2/3 में खातेदार अकेले नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.06 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: